



भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड Railway Board



**Office Order No. 27 of 2025**

**Sub: Guidelines issued by DARPG for implementation of E office – regarding**

In alignment with the principles envisaged by DARPG in their OM O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938) dated 17.01.2025 (copy enclosed), the following guidelines are issued/reiterated:

(i) Standing orders on Channel of Submission of cases pertaining to Branches in Board's Office are available in the e-Office dashboard and on Indian Railways' official website which can be accessed through the following link:

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view\\_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,523,2605](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,523,2605)

Despite repeated instructions (latest was from Secretary/RB vide Office Order no.72 of 2024 dated 14.12.2024), it has been observed that many Branches in Board's office have not yet uploaded their Channel of submission on IR website as instructed in the ibid Order. This may invariably be done by **30th April, 2025**.

(ii) Comprehensive instructions were issued on Functional File numbering system and Non-Single file system vide Office Order no. 20 of 2025 dated 06.03.2025. These instructions are available on the e-office dashboard and internet site of Indian Railways at the following link:

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary\\_branches/Office\\_Order\\_2025/0\\_0\\_No\\_20%20of%202025%20\(1\).pdf](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary_branches/Office_Order_2025/0_0_No_20%20of%202025%20(1).pdf)

(iii) Detailed instructions on File Management System (both e-files and physical files) are elaborated in Chapter 12 of the Railway Board's Manual of Office Procedure (Sixth Edition) which is accessible through the below mentioned link:

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary\\_branches/pdf/2022/6th\\_Edition\\_MOP\\_2022.pdf](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary_branches/pdf/2022/6th_Edition_MOP_2022.pdf)

Instructions for parking and closing of e-files and creating of part files etc. are also available in the e-Office User Manual at page nos. 183-184 and page nos. 224-232 respectively. The User Manual can be accessed in the help section (symbol "?") on top right of the File Management System. These may be followed invariably.

...contd/-

(iv) DARPG has advocated the Use of Knowledge Management System (KMS) in e-office for managing the OM's Circulars, Orders etc. and further adding them as references in e-Files. Accordingly, C&IS Directorate have already taken the following measures:

- a. Folders have been created for each Directorate in the KMS and permission given to all Organisation Units(OUs) under the Directorate for uploading/viewing their documents. Now, every user has two tabs (public notice board & notice board of directorate) in the Notice Board.
- b. The Directorate notice board is visible as Organization Unit's notice board and the folder is common for all Organization Units under a particular Directorate. Permission has been given to all users of that Directorate to view the notices of all their OUs.

For publishing documents in notice board, users will have to send the document in pdf form for publication through KMS module and inform RBCC through mail (rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in) with specific instruction for publishing it on public notice board or Directorate's notice board.

Further, a list of all files (Directorate-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files.

(v) All Directorates are requested to review and examine the Distinct Levels. These are available under 'e-File Movement Status' Report under the 'Data Analytics' tab in the eFile MIS Reports application.

In order to help users become familiar with the news features in e-office, those users who wish to avail training in e-office may send their request through email to e-office helpdesk at rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in by 30<sup>th</sup> April 2025 so that a training session can be organized for them by C&IS Dte.

2. This issues with the approval of competent authority

**File No. 2025/O&M/2/1**

**Dated: 09.04.2025**



**(T. Srinivas)**

**Joint Secretary/Railway Board**

**Tele No. 011-48745551**

**Email: t.srinivas1@gov.in**

**All Officers & Branches of Board's Office at Rail Bhawan, COFMOW Building and DayaBasti for necessary action.**

**Copy to: EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)**



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2025 का कार्यालय आदेश सं. 27

विषय: ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिनांक 17.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं.0-16012/6/2017-एआरसी-डीएआरपीजी (ई2938) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार, निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं/दोहराए जा रहे हैं:

(i) बोर्ड कार्यालय में शाखाओं से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने के चैनल के स्थायी आदेश ई-ऑफिस के डैशबोर्ड और भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view\\_section.jsp? lang\\_0&id=0.1.304.366.523.2605](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang_0&id=0.1.304.366.523.2605)

यह देखा गया है कि बोर्ड कार्यालय में अनुदेश दोहराए जाने के बावजूद (अंतिम बार सचिव/रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 14.12.2024 के 2024 के कार्यालय आदेश संख्या 72 के तहत) अधिकांश शाखाओं ने उक्त आदेश में दिए गए अनुदेशों के अनुसार भारतीय रेल की वेबसाइट पर फाइल प्रस्तुत करने के चैनल अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। कृपया इस कार्य को निरपवाद रूप से 30 अप्रैल, 2025 तक पूरा कर लिया जाए।

(ii) वर्ष 2025 में दिनांक 06.03.2025 के कार्यालय आदेश सं. 20 के तहत कार्यात्मक फाइल संख्या प्रणाली और नॉन सिंगल फाइल सिस्टम पर व्यापक अनुदेश जारी किए गए थे। भारतीय रेल के ई-ऑफिस डैशबोर्ड और इंटरनेट साइट पर ये अनुदेश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary branches/Office Order 2025/0 0 No 20%20of%202025%20\(1\).pdf](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary_branches/Office Order 2025/0 0 No 20%20of%202025%20(1).pdf)

(iii) फाइल प्रबंधन प्रणाली (ई-फाइल और भौतिक फाइल दोनों) से संबंधित विस्तृत अनुदेश रेलवे बोर्ड की कार्यालय पद्धति नियमावली (छठा संस्करण) के अध्याय 12 में दिए गए हैं, जिसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary branches/pdf/2022/6th Edition MOP 2022.pdf](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/secretary_branches/pdf/2022/6th Edition MOP 2022.pdf)

ई-फाइलों की पार्किंग और उन्हें बंद करने तथा पार्ट फाइल बनाने आदि संबंधी अनुदेश ई-ऑफिस यूजर मैनुअल के क्रमशः पृष्ठ सं.183-184 और पृष्ठ सं.224-232 पर भी उपलब्ध हैं। यूजर मैनुअल को फाइल प्रबंधन प्रणाली के शीर्ष दाईं ओर हेल्प सेक्शन (चिन्ह "?") से एक्सेस किया जा सकता है। कृपया इसका निरपवाद रूप से अनुपालन किया जाए।

(iv) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कार्यालय ज्ञापनों परिपत्रों, आदेशों इत्यादि के प्रबंधन के लिए ई-ऑफिस में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) के उपयोग की सिफारिश की है और आगे उन्हें ई फाइलों में संदर्भ के रूप में शामिल किया है। तदनुसार, सीएंडआईएस निदेशालय ने पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं :

क. केएमएस में प्रत्येक निदेशालय के लिए फोल्डर बनाए गए हैं और सभी संगठन इकाइयों (ओयू) को निदेशालय के अंतर्गत दस्तावेजों को अपलोड करने/देखने की अनुमति दी गई है। अब प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास नोटिस बोर्ड में दो टैब हैं (पब्लिक नोटिस बोर्ड एवं निदेशालय का नोटिस बोर्ड)।

ख. निदेशालय का नोटिस बोर्ड संगठन इकाई के नोटिस बोर्ड के रूप में दृष्टिगोचर है और विशेष निदेशालय के अंतर्गत सभी संगठनों इकाइयों के लिए सर्वनिष्ठ फोल्डर है। उस निदेशालय के सभी उपयोगकर्ताओं को अपने संगठन इकाइयों के सारे नोटिस देखने की अनुमति दी गई है।


नोटिस बोर्ड में दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को केएमएस मॉड्यूल के माध्यम से प्रकाशन के लिए दस्तावेज पीडीएफ फॉर्म में भेजने होंगे और इसे पब्लिक नोटिस बोर्ड अथवा निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने के विशिष्ट अनुदेश देते हुए रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेल को ईमेल ([rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in](mailto:rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in)) के माध्यम से सूचित करना होगा।

इसके अलावा, पीडीएफ में सभी संदर्भों के लिए केएमएस में सभी फाइलों की सूची (निदेशालय-वार) रखी जाएगी ताकि उसी शीर्ष अथवा पार्ट फाइल में मल्टीपल फाइलें बनाने से बचा जा सके।

(v) सभी निदेशालयों से अनुरोध है कि वह भिन्न स्तरों पर इनकी समीक्षा और जांच करें। ये 'ई-फाइल मूवमेंट स्टेटस' रिपोर्ट के अंतर्गत 'डाटा एनलिटिक्स' के तहत ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट्स एप्लीकेशन टैब में उपलब्ध हैं।

उपयोगकर्ताओं को ई-ऑफिस में न्यूज फीचर से परिचित कराने के उद्देश्य से, जो ई-ऑफिस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों कृपया 30, अप्रैल, 2025 तक [rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in](mailto:rbcc-helpdesk@rb.railnet.gov.in) पर ई-ऑफिस हेल्प डेस्क के माध्यम से मेल भेजकर अनुरोध कर सकते हैं ताकि सीएंडआईएस निदेशालय द्वारा उनके लिए एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा सके।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(टी.श्रीनिवास)

सं. 2025/ओएंडएम/2/1

दिनांक: 09.04.2025

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड  
टेलिफोन नं. 011-47845551

ईमेल: [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)

बोर्ड कार्यालय, कॉफ़मो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित कार्यालय के सभी अधिकारियों और शाखाओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यापालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर),  
संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)